



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 3]

नई दिल्ली, जनवरी 13—जनवरी 19, 2019, शनिवार/पौष 23—पौष 29, 1940

No. 3]

NEW DELHI, JANUARY 13—JANUARY 19, 2019, SATURDAY/ PAUSA 23—PAUSA 29, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

का. आ. 87.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, केनरा बैंक की कार्यपालक निदेशक, सुश्री पी. वी. भारती (जन्म तिथि 22.3.1960) को दिनांक 1.2.2019 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (31.3.2020) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्पोरेशन बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-1]

ज्ञानोत्तोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 26th December, 2018

S. O. 87.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Central Government hereby appoints Ms. P. V. Bharathi (DoB: 22.3.1960), Executive Director, Canara Bank as Managing Director and Chief Executive Officer in Corporation Bank with effect from the date of assumption of office on or after 1.2.2019 and up to the date of her attaining the age of superannuation (31.3.2020), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

का. आ. 88.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के महाप्रबंधक, श्री विरुपक्ष मिश्रा (जन्म तिथि 26.1.1961) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 31.1.2021 तक अर्थात् अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्पोरेशन बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2017-बीओ-I]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 26th December, 2018

S. O. 88.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Central Government hereby appoints Shri Birupaksha Mishra (DoB: 26.1.1961), General Manager, Central Bank of India as Executive Director in Corporation Bank with effect from the date of his taking over charge of the post and up to 31.1.2021, *i.e.*, the date of his attaining the age of superannuation, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2017-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

का. आ. 89.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, कार्पोरेशन बैंक के महाप्रबंधक, श्री बालकृष्ण अलसे एस. (जन्म तिथि 3.4.1960) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 30.4.2020 तक अर्थात् अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2017-बीओ-I]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 26th December, 2018

S. O. 89.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Central Government hereby appoints Shri Balakrishna Alse S. (DoB: 3.4.1960), General Manager, Corporation Bank as Executive Director in Oriental Bank of Commerce with effect from the date of his taking over charge of the post and up to 30.4.2020, i.e., the date of his attaining the age of superannuation, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2017-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

का. आ. 90.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, कॉर्पोरेशन बैंक के महाप्रबंधक, श्री के. रामाचन्द्रन (जन्म तिथि 7.6.1961) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (30.6.2021) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इलाहाबाद बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-I]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 26th December, 2018

S. O. 90.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri K. Ramachandran (DoB: 7.6.1961), General Manager, Corporation Bank as Executive Director in Allahabad Bank with effect from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (30.6.2021), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2018-BO.I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2018

का. आ. 91.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैराग्राफ 11 के उप-पैराग्राफ (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह एतद्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 15.11.2018 से इण्डियन ओवरसीज बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री शिवरमन अनंत नारायण द्वारा दिए गए त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिया है।

[फा. सं. 6/9/2017-बीओ-I]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2018

S.O. 91.—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 11 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, it is hereby notified for public information that the Central Government has accepted the resignation tendered by Shri Sivaraman Anant Narayan as part-time non-official Director on the Board of Directors of Indian Overseas Bank, with effect from 15.11.2018.

[F. No. 6/9/2017-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

का. आ. 92.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, विजया बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री नागेश्वर राव वाई. (जन्म तिथि 12.7.1961) के कार्यकाल को दिनांक 22.1.2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा.सं. 4/5/2015-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 31st December, 2018

S.O. 92.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Central Government hereby extends the term of office of Shri Nageswara Rao Y. (date of birth: 12.7.1961), Executive Director, Vijaya Bank for a period of one year with effect from 22.1.2019, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2015-BO-1]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.